न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0), श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।
फौजदारी वाद संख्या–419/2022
दीपचन्द्र अग्रवाल बनाम मनोरमा

दिनांकः 14.08.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली आज अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–299 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु नियत है।

2. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि परिवादी द्वारा उक्त मामला वर्ष 2022 में अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया था। अभियुक्ता की निरंतर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध व गैर जमानतीय आदेशिकायें व नोटिस जामीनान व धारा–82 व 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता जारी किये जा रहे हैं, परन्तु अभियुक्ता उपस्थित नहीं हुई है।

3. अभियुक्ता के विरूद्ध जारी कुर्की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी अभियुक्ता के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है तथा अभियुक्ता के विरूद्ध जारी आदेशिकायें अदम तामीली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हो रही है।

4. चूंकि मामले में पिछले 4 वर्ष से निरतंर अभियुक्ता की हाजिरी हेतु आदेशिकाएं जारी की जा रही हैं, परन्तु इस स्तर पर अभियुक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी संभव नहीं हो पा रही है और इस मामले में अन्य और आदेशिकायें जारी करना लोकधन व समय का दुरूपयोग होगा। अभियुक्ता के निकटतम भविष्य में न्यायालय में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। तदनुसार अभियुक्ता को फरार घोषित किया जाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर मामले को अन्यथा लम्बित रखने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। तद्नुसार पत्रावली अभियुक्ता की उपस्थिति होने तक अन्तर्गत धारा–299 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलेखागार में प्रेषित हो।

अभियुक्ता के विरूद्ध स्थायी वारण्ट सम्बन्धित थाना में प्रेषित किया जाए।

(अलका)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)/
सिविल जज (जू0डि0)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।